न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 655 / 2022

अनवान : –

1. गुडडी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः–05/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 70 / 68 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 1 / 18 हिस्सा भूमि व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 318 / 288 की कुल 13.0290 हैक्ट भूमि में से 16127 / 290290 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 124 / 110 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 10118 / 148005 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 317 / 289 की कुल 9.2970 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि मृतक कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादीया के पुत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है तथा वादीया के पुत्र कृष्ण का दिनांक 19.12.2021 को (अविवाहित ला–ओलाद) स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण से अपने पुत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों की सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादीया ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 318/288, 317/289 प्रदर्श 1 ता 2, रोही मौजा 20 आरब्ल्यूडी ए जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 124/110, 70/68 प्रदर्श– 3 ता 4, मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ प्रदर्श–5, मुल वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, मूल शपथ पत्र प्रदर्श–7 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादीया के पुत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है तथा वादीया के पुत्र कृष्ण का दिनांक 19.12.2021 को (अविवाहित ला–ओलाद) स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण से अपने पुत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 70/68 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 318/288 की कुल 13.0290 हैक्ट भूमि में से 16127/290290 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 124/110 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 10118/148005 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 317/289 की कुल 9.2970 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया ने कथन किया है कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादीया के पुत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है तथा वादीया के पुत्र कृष्ण का दिनांक 19.12.2021 को (अविवाहित ला–ओलाद) स्वर्गवास हो चुका है वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र बहक कृष्ण व सदस्य प्रमाण कृष्ण पुत्र भागीरथ आदि दस्तावेज पेश किये। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार कृष्ण पुत्र भागीरथ के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। पेरोकार राज ने निवेदन किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुताबिक अनुतोष [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 70/68 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत, 2073–76 के खाता संख्या 318/288 की कुल 13.0290 हैक्ट भूमि में से 16127/290290 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर, के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 124/110 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 10118/148005 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील, नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 317/289 की कुल 9.2970 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कृष्ण पुत्र भागीरथ का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 655 / 2022

अनवान : –

1. गुडडी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 655 सन 2022 निर्णय दिनांक - 05/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 70 / 68 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 1 / 18 हिस्सा भूमि व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 318 / 288 की कुल 13.0290 हैक्ट भूमि में से 16127 / 290290 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 124 / 110 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 10118 / 148005 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 317 / 289 की कुल 9.2970 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि मृतक कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कृष्ण पुत्र भागीरथ का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested